2012/00005

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर कोर्ट कैम्प चौहटन

पीठासीन अधिकारी—श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 26/2012

अपीलांट

1.मगाराम पुत्र भानाराम
2.समरथाराम पुत्र मगाराम
जाति जाट निवासी बींजासर
तहसील,चौहटन

बनाम्

रेस्पोडेंट्स

1तहसीलदार,चौहटन
2.गुमनाराम पुत्र पैलादराम
3.कौशलाराम पुत्र आसूराम
4.बाबूराम पुत्र आसूराम
5.हिमथाराम पुत्र आसूराम
6.पेमी पत्नि आसूराम
जाति जाट निवासी बीजासर
तहसील,चौहटन

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 26.11.2010 द्वारा तहसीलदार,चौहटन

उपस्थितः—1. अपीलांट मय अधिवक्ता श्री बाबुलाल जाणी उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट संख्या 01 तहसीलदार चौहटन उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 02 से 06 अनुपस्थित।

आदेश दिनांक 03.06.2016

1. संक्षेप में अपीलांट्स की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट संख्या 02 से 6 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 571/122 रकबा 75 बीघा 03 विस्वा ग्राम बीजासर में आई हुई है। इस आराजी में अपीलांट का सयुंक्त रूप से 1/2 हिस्सा व रेस्पोडेंट संख्सा 02 से 06 का खातेदारी हिस्सा 1/2 है। दोनो पक्ष इसी अनुसार खेत को दो भागो में बांट कर जिसके मध्य आडी पूर्व पश्चिम सेढा माठ चलती है,उसके अनुसार बाहामी तौर पर विभाजित कर दोनो पक्ष काश्त करते आ रहे है। अपीलांट्स एंव रेस्पोडेंट संख्या 02 से 06 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार,चौहटन के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया। जिस पर तहसीलदार चौहटन ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2010 द्वारा पक्षकारान की आपसी सहमति का प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर दिया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्स ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट्स ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

मयाद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट्स ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र भी पेश किया गया।

2. हमने अपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंट्स को सम्मन किये एंव अपीलाधीन पत्रावली तलबी।

3. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कैम्प कोर्ट चौहटन में प्रस्तुत हुई, जिसके लिये उभय पक्ष के अभिभाषक व पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। अपीलांट्स एंव इनके अधिवक्ता उपस्थित रहे रेस्पोडेंट संख्या 01 तहसीलदार चौहटन उपस्थित रहे। रेस्पोडेंट संख्या 02 से 06 बावजूद नोटिस अनुपस्थित रहे।

4. हमने उभय पक्ष को सुना। आदेश व अपीलाधीन रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलांट्स ने यह अपील तहसीलदार, चौहटन द्वारा बंटवाड़ा आदेश दिनांक 26.11.2010 को स्वीकृत करने के विरूद्ध पेश की है। मौजा बीजासर के खसरा नम्बर 571/122 रकबा 75 बीघा 03 विस्वा अपीलांट व रेस्पोडेंट्स की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। अपीलांट्स एंव रेस्पोडेंट संख्या 02 से 06 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार चौहटन के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया। अपीलांट्स का यह कथन कि विभाजन प्रस्ताव मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार खेत में पूर्व पश्चिम तरमीम कर सीधी लाइटन परिषिष्ट "अ" के अनुसार डालकर विभाजन करने को कहा मगर ऐसा नहीं कर विभाजन के नक्शे की लाल व आसमानी रंग से चिन्हित कर विभाजन की सीधी लाईन पूर्व पश्चिम के बजाय रेस्पोडेंट संख्या 02 से 06 ने अच्छी किस्म की भूमि अपने हिस्से में रखते हुए अपीलांट को कम उपजाऊ व बंजर भूमि देते हुए बंटवाड़ा किया गया जिससे अपीलांट की वर्षो पुरानी ढाणी रेस्पोडेंट संख्या 02 सये 06 के हिस्से में चली गई। अतः उक्त अनुसार सहमति से विभाजन के बंटवाड़ा में कब्जे को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद बना हुआ है और मौके पर बंटवाड़ा अनुसार कब्जा न होकर भिन्न प्रकार से कब्जा है अर्थात् विभाजन आदेश पक्षकारान के भौतिक कब्जे काश्त के अनुसार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, चौहटन ने विभाजन विलेख स्वीकृत करने से पूर्व रेकर्ड, मौके की स्थिति की सही जॉच नहीं की। जिसके अभाव में अपीलाधीन आदेश को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट ने अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र पेश किया है जो अपील के तथ्यों को

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

देखते हुए स्वीकार किये जाने योग्य है, जो स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद सुमार की जाती है।

5. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2010 को अपास्त किया जाता है, और मामला तहसीलदार चौहटन को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान के वादग्रस्त भूमि में मौके पर कब्जे काश्त अनुसार पुनः विधिवत आदेश पारित करें।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

आदेश खुले न्यायालय कैम्प कोर्ट चौहटन में आज दिनांक 03.06.2016 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर